सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
आश्विन 1, बुधवार, शाके 1942- सितम्बर 23, 2020 *Asvina 1, Wednesday , Saka 1942- September 23, 2020*	

भाग-4(क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, 23 सितम्बर, 2020

संख्या प.2(4)विधि/2/2020.- राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 22 सितम्बर, 2020 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान मदरसा बोर्ड अधिनियम, 2020

(2020 का अधिनियम संख्यांक 24)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 22 सितम्बर, 2020 को प्राप्त हुई)

राजस्थान राज्य में मदरसा शिक्षा बोर्ड की स्थापना करने और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित बनाता है:-

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान मदरसा बोर्ड अधिनियम, 2020 है।

(2) इसका प्रसार संपूर्ण राजस्थान राज्य में है।

(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "सलाहकार समिति" से धारा 21 के अधीन गठित सलाहकार समिति अभिप्रेत है;

(ख) "बोर्ड" से धारा 3 के अधीन स्थापित राजस्थान मदरसा बोर्ड अभिप्रेत है;

(ग) "अध्यक्ष" से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(घ) "सक्षम प्राधिकारी" से धारा 26 के अधीन की गयी अपील को सुनने के लिए राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ङ) "निधि" से धारा 18 के अधीन गठित निधि अभिप्रेत है;

(च) "प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य" से किसी मदरसे के अध्यापन कर्मचारिवृंद का प्रधान, चाहे उसे किसी भी नाम से पदाभिहित किया जाये, अभिप्रेत है;

(छ) "मदरसा" से मदरसा बोर्ड से रजिस्ट्रीकृत और मदरसा शिक्षा में शिक्षा देने वाली कोई शैक्षिक संस्था अभिप्रेत है;

(ज) "मदरसा शिक्षा" से ऐसी शिक्षा प्रणाली अभिप्रेत है, जिसमें इस्लामी इतिहास और संस्कृति, और धर्म विद्या सम्मिलित है, और इसमें ऐसी साधारण शिक्षा भी सम्मिलित है जो विद्यार्थी को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, काउन्सिल फार द इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन्स, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या अन्य राज्यों के माध्यमिक शिक्षा बोर्डों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए तैयार करती है;

(झ) "मदरसा प्रबंध समिति" से व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय अभिप्रेत है, जिसे तत्समय मदरसा के कार्यकलापों का प्रबंध न्यस्त किया गया हो;

(ञ) "बहुमत" से बोर्ड की बैठक में, अध्यक्ष को सम्मिलित करते हुए वहां उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत अभिप्रेत है;

(ट) "सदस्य" से इस अधिनियम के अधीन बोर्ड का कोई सदस्य अभिप्रेत है;

(ठ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ड) "विनियम" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियम अभिप्रेत हैं;

(ढ) "नियम" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम अभिप्रेत हैं;

(ण) "सचिव" से बोर्ड का सचिव अभिप्रेत है;

(त) "सदर" से मदरसा प्रबंध समिति का प्रधान अभिप्रेत है;

(थ) "सामाजिक कार्यकर्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो सामाजिक कार्य के क्षेत्र में और समाज के सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक उत्थान में लगा हुआ है;

(द) "राज्य सरकार" से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है; और

(ध) "अध्यापक" से शिक्षा देने के लिए नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसमें शिक्षा सहयोगी और प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य सम्मिलित है।

अध्याय 2

बोर्ड

3. बोर्ड की स्थापना और निगमन.- (1) राज्य सरकार, ऐसी तारीख से जो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत की जाये, बोर्ड की स्थापना करेगी, जिसका नाम राजस्थान मदरसा बोर्ड होगा।

(2) बोर्ड का मुख्यालय जयपुर में होगा।

(3) बोर्ड एक निगमित निकाय होगा जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और सामान्य मुद्रा होगी और उसे जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की संपत्ति अर्जित और धारित करने, और राज्य सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए, उसके द्वारा धारित किसी संपत्ति को अंतरित करने और संविदा करने तथा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक या सहायक अन्य समस्त बातें करने की शक्ति होगी और वह अपने निगमित नाम से वाद ला सकेगा या उसके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा।

4. बोर्ड का गठन.- (1) बोर्ड निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात्:-

(क) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष;

(ख) प्रभारी सचिव, अल्पसंख्यक मामलात् एवं वक्फ विभाग, राजस्थान या उसका नामनिर्देशिती जो संयुक्त शासन सचिव की रैंक से कम का न हो, पदेन सदस्य;

(ग) प्रभारी सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान या उसका नामनिर्देशिती जो संयुक्त शासन सचिव की रैंक से कम का न हो, पदेन सदस्य;

(घ) प्रभारी सचिव, सामाजिक न्याय विभाग, राजस्थान या उसका नामनिर्देशिती जो संयुक्त शासन सचिव की रैंक से कम का न हो, पदेन सदस्य;

(ङ) प्रभारी सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान या उसका नामनिर्देशिती जो संयुक्त शासन सचिव की रैंक से कम का न हो, पदेन सदस्य;

(च) निदेशक, निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात्, राजस्थान, पदेन सदस्य;

(छ) प्रभारी सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान या उसका नामनिर्देशिती जो संयुक्त शासन सचिव की रैंक से कम का न हो, पदेन सदस्य;

(ज) निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, राजस्थान, पदेन सदस्य;

(झ) सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, पदेन सदस्य;

(ञ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वक्फ बोर्ड, राजस्थान, पदेन सदस्य;

(ट) राजस्थान के किसी राज्य विश्वविद्यालय से उर्दू/अरबी या फारसी भाषा के अध्यापन संकाय से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति, सदस्य;

(ठ) मदरसा प्रबंध समिति के, राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित, छह सदर, जिनमें कम से कम दो महिलाएं होंगी, सदस्य; और

(ड) मुस्लिम समुदाय से, राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित, चार ख्यातिप्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता, जिनमें कम से कम एक महिला होगी, सदस्य।

स्पष्टीकरण.- इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "प्रभारी सचिव" से विभाग का प्रभारी शासन सचिव अभिप्रेत है और इसमें कोई अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव सम्मिलित है, जब वह किसी विभाग का प्रभारी हो।

(2) उप-धारा (1) के अधीन समस्त नियुक्तियां और नामनिर्देशन राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा किये जायेंगे।

5. अध्यक्ष की सेवा के निबंधन और शर्तें.- (1) अध्यक्ष, कोई विख्यात शिक्षाविद् या ख्यातिप्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता होगा।

(2) अध्यक्ष, उसकी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए या राज्य सरकार के प्रसादपर्यन्त, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा।

(3) अध्यक्ष, राज्य सरकार को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा, अपना पद त्याग सकेगा और वह उस तारीख से, जिसको राज्य सरकार द्वारा उसका त्यागपत्र स्वीकार किया जाता है, अपना पद रिक्त करेगा।

(4) अध्यक्ष यदि वह किसी भी समय, धारा 7 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट निरर्हताओं में से किसी भी निरर्हता के अध्यधीन हो जाता है, तो पद पर नहीं रहेगा।

(5) अध्यक्ष को संदेय वेतन और भत्ते ऐसे होंगे, जो विहित किये जायें।

(6) अध्यक्ष की सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जायें।

6. सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें.- (1) पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य, उसके नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए या राज्य सरकार के प्रसादपर्यन्त, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा।

(2) पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य, राज्य सरकार को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा, अपना पद त्याग सकेगा और वह उस तारीख से, जिसको राज्य सरकार द्वारा उसका त्यागपत्र स्वीकार किया जाता है, अपना पद रिक्त करेगा।

(3) पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य, यदि वह किसी भी समय, धारा 7 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट निरर्हताओं में से किसी भी निरर्हता के अध्यधीन हो जाता है, तो पद पर नहीं रहेगा।

(4) नामनिर्देशित सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते ऐसे होंगे, जो विहित किये जायें।

(5) सदस्यों की सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जायें।

7. निरर्हताएं.- (1) अध्यक्ष और कोई सदस्य, बोर्ड के अध्यक्ष या, यथास्थिति, किसी सदस्य के रूप में नियुक्त या नामनिर्दिष्ट किये जाने के लिए निरर्हित होगा, यदि वह-

(i) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृतचित्त न्यायनिर्णीत किया गया है;

(ii) अनुन्मोचित दिवालिया है;

(iii) किसी ऐसे अपराध के लिए, जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है, सिद्धदोष ठहराया गया है और कारावास से दण्डित किया गया है;

(iv) राज्य सरकार की राय में, अध्यक्ष या सदस्य के पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है, जिससे उस व्यक्ति का पद पर बने रहना अल्पसंख्यकों के हित या लोक हित में हानिकारक है।

(2) यदि अध्यक्ष या कोई सदस्य, अपनी नियुक्ति/नामनिर्देशन के पश्चात्, उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट निरर्हताओं में से किसी निरर्हता के अध्यधीन हो जाता है तो उसकी सदस्यता, ऐसी तारीख से, जो राज्य सरकार निदिष्ट करे, समाप्त हो जायेगी।

8. रिक्तियों का भरा जाना.- (1) अध्यक्ष या किसी नामनिर्दिष्ट सदस्य के पद की, मृत्यु, त्यागपत्र के कारण या अन्यथा हुई किसी भी रिक्ति की दशा में, ऐसी रिक्ति, राज्य सरकार द्वारा नयी नियुक्ति या, यथास्थिति, नामनिर्देशन द्वारा भरी जायेगी।

(2) जहां अध्यक्ष का पद छुट्टी, निलम्बन के कारण या अन्यथा रिक्त हो जाता है तो राज्य सरकार, आदेश द्वारा, किसी सदस्य को, नये अध्यक्ष द्वारा उसके कर्तव्य संभालने तक, अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी।

9. बोर्ड की बैठकें.- (1) बोर्ड, वर्ष में कम से कम चार बार, ऐसे समयों पर जैसाकि अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जाये, बैठक करेगा।

(2) बोर्ड के कार्योत्तर अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए, किसी अत्यावश्यक मामले को बोर्ड द्वारा, परिचालन रीति के माध्यम से, विचार में लिया जा सकेगा।

(3) अध्यक्ष बैठक में किसी भी व्यक्ति को, जिसका सहयोग या सलाह वह इस अधिनियम के अधीन इसके कृत्यों में से किसी भी कृत्य का पालन करने के लिए अभिप्राप्त करने का इच्छुक हो, आमंत्रित कर सकेगा:

परन्तु उप-धारा (3) के अधीन इस प्रकार आमंत्रित व्यक्ति को ऐसी बैठक में भाग लेने का अधिकार तो होगा, किन्तु मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(4) बोर्ड की बैठक की गणपूर्ति, सदस्यों की कुल संख्या की एक-तिहाई होगी।

(5) ऐसे कोई भी मामले या प्रश्न, जो बोर्ड की किसी भी बैठक के समक्ष आयें, बहुमत द्वारा विनिश्चित किये जायेंगे।

अध्याय 3

अध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य

10. अध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य.- (1) बोर्ड के अध्यक्ष का यह कर्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम के उपबंधों और इसके नियमों का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित करे।

(2) अध्यक्ष, बोर्ड और इस अधिनियम के अधीन गठित किसी समिति के विनिश्चयों को कार्यान्वित करने और उनको प्रभावी करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) अध्यक्ष, सचिव और बोर्ड द्वारा नियुक्त किये गये अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों का साधारण पर्यवेक्षण करेगा।

(4) बोर्ड का अध्यक्ष ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो विहित किये जायें।

अध्याय 4

बोर्ड की शक्तियां और कृत्य

11. बोर्ड की शक्तियां और कृत्य.- (1) बोर्ड का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य सरकार को मदरसा शिक्षा से संबंधित समस्त मामलों पर सलाह दे।

(2) इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों, राज्य सरकार के किन्हीं साधारण या विशेष आदेशों के अध्यधीन रहते हुए, बोर्ड को मदरसा शिक्षा का निदेशन और पर्यवेक्षण करने की शक्ति होगी और वह विशिष्टतया निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्:-

(क) मदरसे का रजिस्ट्रीकरण मंजूर या नामंजूर करना और किसी मदरसे को विरजिस्ट्रीकृत करना, यदि वह उचित और आवश्यक समझे;

(ख) किसी विद्यमान मदरसे का उन्नयन करना, यदि वह उचित और आवश्यक समझे;

(ग) रजिस्ट्रीकृत मदरसों से संबंधित समस्त अभिलेखों का इस निमित्त बनाये गये विनियमों के अनुसार अनुरक्षण करना;

(घ) पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या और शिक्षणशास्त्र विहित करना;

(ङ) पाठ्य पुस्तकें और अन्य अध्यापन सामग्री विहित करना;

(च) बोर्ड स्तर की परीक्षाओं को सम्मिलित करते हुए, परीक्षाओं के संचालन के लिए व्यवस्था करना;

(छ) मदरसों के निरीक्षण के लिए मैकेनिजम वि कसित करना, और राज्य सरकार द्वारा मंजूर की गयी निधियों के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करना;

(ज) मदरसा शिक्षा के विषय में केन्द्रीय और राज्य सरकार की स्कीमों के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण करना;

(झ) राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए बोर्ड के वार्षिक बजट प्राक्कलनों और लेखाओं को तैयार करना;

(ञ) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो उसको राज्य सरकार द्वारा न्यस्त किये जायें; और

(ट) मदरसा बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों तथा मदरसों के अध्यापकों के आचरण और अनुशासन से संबंधित विनियम बनाना।

12. प्रत्यायोजित करने की शक्ति.- बोर्ड, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, निदेश दे सकेगा कि विनियम बनाने की शक्ति के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य कोई शक्ति, ऐसे मामलों में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जायें, उसके अध्यक्ष द्वारा या ऐसी समिति या अधिकारी द्वारा भी प्रयोग की जा सकेगी।

अध्याय 5

बोर्ड के अधिकारी

13. सचिव.- (1) सचिव, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होगा।

(2) अध्यक्ष के साधारण नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अध्यधीन रहते हुए, सचिव बोर्ड का प्रधान प्रशासनिक अधिकारी होगा और बोर्ड की बैठकों में भाग लेने का हकदार होगा किन्तु उनमें मत देने का हकदार नहीं होगा। वह बोर्ड की बैठकों की कार्यवाहियों को अभिलिखित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

14. लेखा अधिकारी.- (1) राज्य सरकार, बोर्ड के वित्त और लेखाओं का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करने के लिए लेखा अधिकारी को, जो राजस्थान लेखा सेवा का अधिकारी होगा, नियुक्त करेगी। वह बोर्ड के सचिव के संपूर्ण पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा।

(2) वह-

(i) बजट की तैयारी के लिए और उसे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा;

(ii) बोर्ड की निधि का प्रशासन करेगा;

(iii) बोर्ड के व्यय का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करेगा; और

(iv) यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी व्यय, जिसे बजट में प्राधिकृत नहीं किया गया है, बोर्ड द्वारा उपगत नहीं किया जाये।

15. बोर्ड के अन्य अधिकारी और कर्मचारी.- (1) बोर्ड को, इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों का दक्षतापूर्वक निर्वहन करने के लिए, समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार, इतनी संख्या में अधिकारी और अन्य कर्मचारी, जो वह उचित समझे, प्रतिनियुक्त कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार बोर्ड में अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के इतनी संख्या में पद और पदों के प्रवर्ग भी सृजित कर सकेगी जो वह इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक समझे और उन पर नियुक्ति कर सकेगी।

(3) बोर्ड के इस धारा के अधीन नियुक्त अधि कारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते, तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जायें।

16. जिला स्तरीय कार्यालय.- बोर्ड के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अध्यधीन रहते हुए, अल्पसंख्यक मामलात् विभाग के अधीन जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का कार्यालय, बोर्ड की स्कीमों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन और बोर्ड की ओर से मदरसों का निरीक्षण और उनको मानीटर करने के प्रयोजन के लिए जिला स्तरीय कार्यालय के रूप में भी कार्य करेगा।

अध्याय 6

बोर्ड का बजट और वित्त

17. बजट.- (1) बोर्ड, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जैसाकि विहित किया जाये, बोर्ड की प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय को दर्शित करते हुए, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपना बजट तैयार करवायेगा और उसके अनुमोदन के पश्चात् उसे राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

(2) बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से किसी भी राशि का व्यय तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि वह व्यय राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित बजट प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आता हो।

18. निधि.- (1) एक निधि स्थापित की जायेगी जिसे मदरसा बोर्ड निधि कहा जायेगा, जिसे इसमें इसके पश्चात् 'निधि' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

(2) निम्नलिखित धनराशियां, निधि का भाग होंगी और उसमें संदत्त की जायेंगी, अर्थात्:-

(i) राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार से प्राप्त कोई अनुदान;

(ii) कोई न्यास, वसीयत, संदान, विन्यास और अन्य अनुदान; और

(iii) बोर्ड के निमित्त प्राप्त कोई अन्य राशियां।

(3) निधि का उपयोग सर्वथा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा, अन्यथा नहीं।

19. लेखा और संपरीक्षा.- (1) बोर्ड के लेखे, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से जैसाकि विहित किया जाये, तैयार किये और रखे जायेंगे।

(2) बोर्ड के लेखे, राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम सं. 28) के उपबंधों के अनुसार या ऐसी रीति से, जो नियमों द्वारा विहित की जाये, निदेशक, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा संपरीक्षा के अध्यधीन होंगे।

(3) बोर्ड के लेखे किसी रजिस्ट्रीकृत चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म द्वारा वार्षिक रूप से संपरीक्षित किये जायेंगे और उसकी रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट का भाग होगी।

(4) बोर्ड, संपरीक्षा के प्रभार, जो नियमों द्वारा विहित किये जायें, अपनी निधियों से संदत्त करेगा।

20. वार्षिक रिपोर्ट.- (1) बोर्ड, प्रत्येक वर्ष, इस अधिनियम के अधीन उस वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों की एक रिपोर्ट तैयार करेगा और वह रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

(2) राज्य सरकार, उप-धारा (1) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् उसे यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखवायेगी।

अध्याय 7

बोर्ड की समितियां

21. सलाहकार समिति.- (1) नीतिगत मामलों, वित्त से अंतर्वलित मामलों पर बोर्ड को सलाह देने के लिए और बोर्ड के कार्य संपादन का समय-समय पर पुनर्विलोकन करने के लिए, उसके नीचे उपबंधितानुसार एक सलाहकार समिति गठित की जायेगी:-

(i)	मुख्यमंत्री, राजस्थान	पदेन अध्यक्ष;
(ii)	अल्पसंख्यक मामलात् मंत्री, राजस्थान	पदेन उपाध्यक्ष;
(iii)	स्कूल शिक्षा मंत्री, राजस्थान	पदेन सदस्य;
(iv)	वित्त मंत्री, राजस्थान	पदेन सदस्य;
(v)	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, राजस्थान	पदेन सदस्य;
(vi)	अध्यक्ष, वक्फ बोर्ड, राजस्थान	पदेन सदस्य;
(vii)	अध्यक्ष, राजस्थान अल्पसंख्यक आयोग	पदेन सदस्य;
(viii)	अध्यक्ष, मदरसा बोर्ड, राजस्थान	पदेन सदस्य;
(ix)	प्रभारी सचिव, अल्पसंख्यक	सदस्य-सचिव।

मामलात्, राजस्थान

स्पष्टीकरण.- इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, "प्रभारी सचिव" से विभाग का प्रभारी शासन सचिव अभिप्रेत है और इसमें कोई अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव सम्मिलित है, जब वह किसी विभाग का प्रभारी हो।

(2) अध्यक्ष, समिति की किसी भी बैठक की अध्यक्षता करने के लिए सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष को प्राधिकृत कर सकेगा।

22. अन्य समितियां.- (1) बोर्ड, ऐसी समितियां गठित कर सकेगा, जो वह अपने उचित और दक्ष कृत्यकरण के लिए आवश्यक समझे।

(2) समितियों की संरचना और उनके सदस्यों की सेवाओं के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जायें।

(3) बोर्ड, इस धारा के अधीन गठित समितियों की शक्तियों, कृत्यों और प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए विनियम बना सकेगा।

अध्याय 8

प्रकीर्ण

23. बोर्ड के अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना.- बोर्ड का अध्यक्ष और समस्त सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी, जब इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किन्हीं भी नियमों या विनियमों के उपबंधों के अनुसरण में कार्य कर रहे हों या कार्य करने के लिए तात्पर्यित हों, भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

24. सद्भावपूर्वक की गयी कार्रवाई के लिए संरक्षण.- राज्य सरकार, बोर्ड या उसकी समितियों में से किसी भी समिति या किसी भी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध, ऐसी किसी भी बात के लिए, जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियम या विनियम के उपबंधों, किये गये किसी आदेश या निदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गयी या किये जाने के लिए आशयित है, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं होंगी।

25. राज्य सरकार की निदेश जारी करने की शक्ति.- (1) राज्य सरकार, बोर्ड को ऐसे निदेश जारी कर सकेगी जो वह इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा किये जाने के लिए आवश्यक समझे और बोर्ड ऐसे निदेशों का पालन करेगा।

(2) राज्य सरकार को, बोर्ड द्वारा की गयी या किये जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात के संबंध में बोर्ड को संबोधित करने या अपना विचार अभिव्यक्त करने की शक्ति होगी।

(3) राज्य सरकार, लिखित आदेश द्वारा, उसके कारणों को विनिर्दिष्ट करते हुए, बोर्ड और उसकी किसी भी समिति के किसी संकल्प या आदेश के निष्पादन को निलंबित कर सकेगी और इस अधिनियम के अधीन किये जाने के लिए आशयित किसी कृत्य के निष्पादन को प्रतिषिद्ध कर सकेगी, यदि राज्य सरकार की यह राय

हो कि ऐसा संकल्प, आदेश या कृत्य इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधिक्य में है या इस अधिनियम के प्रयोजनों के प्रतिकूल है।

26. बोर्ड के विनिश्चयों के विरुद्ध अपील.- बोर्ड के किसी विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति या निकाय ऐसे आदेश के पारित किये जाने के साठ दिवस के भीतर-भीतर सक्षम प्राधिकारी को अपील कर सकेगा:

परन्तु सक्षम प्राधिकारी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी को समय पर अपील फाइल किये जाने से पर्याप्त कारण द्वारा निवारित किया गया था, साठ दिवस की उक्त कालावधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा।

27. प्रतिवेदन.- बोर्ड, राज्य सरकार को ऐसी रिपोर्टें, विवरणियां और विवरण देगा, जो विहित किये जायें और बोर्ड से संबंधित किसी मामले पर ऐसी और सूचना देगा जिसकी राज्य सरकार अपेक्षा करे।

28. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति.- राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

29. बोर्ड की विनियम बनाने की शक्ति.- बोर्ड, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों से संगत ऐसे विनियम बना सकेगा जो इस अधिनियम के अधीन उसकी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक हों।

30. नियमों और विनियमों का राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखा जाना.- इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और विनियम उसके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिवस से अन्यून की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो या अधिक उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखा जायेगा और यदि, उस सत्र की, जिसमें वह इस प्रकार रखा गया है या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे नियम या विनियम में कोई भी उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसा कोई नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् ऐसा नियम या विनियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होगा या, यथास्थिति, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलकरण उसके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

31. कठिनाइयों का निराकरण करने की शक्ति.- (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो उसे कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक प्रतीत हों:

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, ऐसे आदेश के किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखा जायेगा।

32. व्यावृत्तियां.- कोई मदरसा जो सरकार के आदेश सं. प.16(1)प्रा.शि./2002 दिनांक 27.1.2003 द्वारा गठित राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा रजिस्ट्रीकृत है और इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पूर्व इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत है इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत किया गया समझा जायेगा।

विनोद कुमार भारवानी,

प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)

NOTIFICATION
Jaipur, September 23, 2020

No. F. 2(4)Vidhi/2/2020.- In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Rajasthan Madarsa Board Adhiniyam, 2020 (2020 Ka Adhiniyam Sankhyank 24) :-

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN MADARSA BOARD ACT, 2020

(Act No. 24 of 2020)

(Received the assent of the Governor on the 22nd day of September, 2020)

An
Act

to establish a Board of Madarsa Education in the State of Rajasthan and to provide for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-first Year of the Republic of India, as follows:-

CHAPTER I
Preliminary

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Madarsa Board Act, 2020.

(2) It extends to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Definitions.- In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) "Advisory Committee" means the Advisory Committee constituted under section 21;

(b) "Board" means the Rajasthan Madarsa Board established under section 3;

(c) "Chairperson" means the Chairperson of the Board;

(d) "Competent Authority" means the Authority specified by notification in the Official Gazette by the State Government to hear the appeal preferred under section 26;

(e) "Fund" means the Fund constituted under section 18;

(f) "Head Master/Principal" means the head of the teaching staff of a Madarsa, by whatever name he may be designated;

(g) "Madarsa" means an educational institution registered with the Madarsa Board and imparting instruction in Madarsa Education;

(h) "Madarsa Education" means a system of education which includes studies in Islamic history and culture, and theology, and also includes general education which prepares the student to appear for exams conducted by Central Board of Secondary Education, Council for the Indian School Certificate Examinations, Rajasthan Board of Secondary Education or Secondary Education Boards of other States;

(i) "Madarsa Management Committee" means the person or the body of persons for the time being entrusted with the management of the affairs of the Madarsa;

(j) "Majority" means the majority votes of the members including Chairperson, present and voting in the meeting of the Board;

(k) "Member" means a member of the Board under this Act;

(l) "Prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(m) "Regulations" mean regulations made under this Act;

(n) "Rules" mean rules made under this Act;

(o) "Secretary" means the Secretary of the Board;

(p) "Sadar" means the head of the Madarsa Management Committee;

(q) "Social Worker" means a person who is engaged in the field of social work and social, economical, psychological and educational upliftment of the society;

(r) "State Government" means the Government of Rajasthan; and

(s) "Teacher" means a person appointed for imparting instruction and includes a Shiksha Sahyogi and the Head Master/Principal.

CHAPTER II

The Board

3. Establishment and incorporation of the Board.- (1) With effect from such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint, establish a Board to be called the Rajasthan Madarsa Board.

(2) The headquarters of the Board shall be at Jaipur.

(3) The Board shall be a body corporate with perpetual succession and a common seal and shall have power to acquire and hold property, both movable and immovable, and subject to the approval of the State Government, to transfer any property held by it and to enter into contract and to do all other things necessary for, or conducive to the purposes of this Act and may sue or be sued in its corporate name.

4. Constitution of the Board.- (1) The Board shall consist of the following, namely:-

(a) Chairperson appointed by the State Government;

(b) the Secretary Incharge of the Minority Affairs and Waqf Department, Rajasthan or his nominee not below the rank of Joint Secretary to the Government, *ex-officio member;*

(c) the Secretary Incharge of the Finance Department, Rajasthan or his nominee not below the rank of Joint Secretary to the Government, *ex-officio member;*

(d) the Secretary Incharge of the Social Justice Department, Rajasthan, or his nominee not below the rank of Joint Secretary to the Government, *ex-officio member;*

(e) the Secretary Incharge of the Department of Personnel, Rajasthan, or his nominee not below the rank of Joint Secretary to the Government, *ex-officio member;*

(f) the Director, Directorate of Minority Affairs, Rajasthan *ex-officio member;*

(g) the Secretary Incharge of the Education Department, Rajasthan or his nominee not below the rank of Joint Secretary to the Government, *ex-officio member;*

(h) the Director, State Council of Educational Research and Training, Rajasthan, *ex-officio member;*

(i) the Secretary, Board of Secondary Education, Rajasthan, *ex-officio member;*

(j) the Chief Executive Officer, Waqf Board, Rajasthan, *ex-officio member;*

(k) one person from Teaching Faculty of Urdu/Arabic or Persian Language from any State University of Rajasthan, nominated by the State Government, member;

(l) six Sadars, at least two of them shall be women, of the Madarsa Management Committee nominated by the State Government, member; and

(m) four social workers, at least one of them shall be a woman, of repute from the Muslim Community nominated by the State Government, member.

Explanation.- For the purposes of this sub-section expression "Secretary Incharge" means the Secretary to the Government Incharge of a department and includes an Additional Chief Secretary or a Principal Secretary when he is Incharge of a department.

(2) All the appointments and nominations under sub-section (1) shall be made by the notification published in the Official Gazette.

5. Terms and conditions of the service of Chairperson.- (1) The Chairperson shall be an eminent educationist or a social worker of repute.

(2) The Chairperson shall hold office for a period of three years from the date of his appointment or until the pleasure of the State Government, whichever is earlier.

(3) The Chairperson may resign his office by writing under his hand addressed to the State Government, and shall vacate his office with effect from the date on which his resignation is accepted by the State Government.

(4) The Chairperson shall cease to hold office if, at any time, he becomes subject to any of the disqualifications, referred to in sub-section (1) of section 7.

(5) The salary and allowances payable to the Chairperson shall be such as may be prescribed.

(6) The other conditions of service of the Chairperson shall be such as may be prescribed.

6. Terms and conditions of the service of the members.- (1) A member, other than *ex-officio* member, shall hold office for a period of three years from the date of his nomination or until the pleasure of the State Government, whichever is earlier.

(2) A member, other than *ex-officio* member, may resign his office by writing under his hand addressed to the State Government and shall vacate his office with effect from the date on which his resignation is accepted by the State Government.

(3) A member, other than *ex-officio* member, shall cease to hold office if, at any time, he becomes subject to any of disqualifications referred to in sub-section (1) of section 7.

(4) The salary and allowances payable to the nominated members shall be such as may be prescribed.

(5) The other conditions of service of the members shall be such as may be prescribed.

7. Disqualifications.- (1) A Chairperson and a member shall be disqualified for being appointed or nominated as a Chairperson or, as the case may be, a member of the Board, if he-

(i) has been adjudged by a competent court to be of unsound mind;
(ii) is an undischarged insolvent;
(iii) has been convicted and sentenced to imprisonment for an offence which, in the opinion of the State Government, involves moral turpitude;
(iv) has, in the opinion of the State Government, so misused the position of Chairperson or member as to render that person's continuance in office detrimental to the interest of minorities or the public interest.

(2) If a Chairperson or a member becomes after his appointment/nomination, subject to any of the disqualifications specified in sub-section (1), his membership shall thereupon cease with effect from such date as the State Government may direct.

8. Filling of Vacancies.- (1) In the event of any vacancy in the office of the Chairperson or a nominated member by reason of death, resignation or otherwise, such vacancy shall be filled by the State Government by fresh appointment or, as the case may be, nomination.

(2) Where the office of the Chairperson becomes vacant by reason of leave, suspension or otherwise, the State Government may, by order, authorize a member to exercise the powers and perform duties of Chairperson till the new Chairperson assumes his duties.

9. Meetings of the Board.- (1) The Board shall meet at such times, not less than four times in a year, as may be decided by the Chairperson.

(2) Any urgent issue may be considered by the Board through circulation mode, subject to the ex post facto approval of the Board.

(3) The Chairperson may invite any person to the meeting whose assistance or advice it may desire to obtain in performing any of its functions under this Act:

Provided that the person so invited under sub-section (3) shall have a right to take part in such meeting, but shall not have a right to vote.

(4) The quorum for the meeting of the Board shall be one-third of the total number of members.

(5) Any issues and questions which may come up before any meeting of the Board shall be decided by a Majority.

CHAPTER III
Powers and Duties of the Chairperson

10. Powers and duties of the Chairperson.- (1) It shall be the duty of the Chairperson of the Board to ensure the strict observance of provisions of this Act and the rules thereof.

(2) The Chairperson shall be responsible for carrying out, and giving effect to, the decisions of the Board and of any Committee constituted under this Act.

(3) The Chairperson shall exercise general supervision over the Secretary and the other officers and employees appointed by the Board.

(4) The Chairperson of the Board shall exercise such other powers and discharge such other duties as may be prescribed.

CHAPTER IV

Powers and Functions of the Board

11. Powers and functions of the Board.- (1) It shall be the duty of the Board to advise the State Government on all matters relating to Madarsa Education.

(2) Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, any general or special orders of the State Government, the Board shall have power to direct and supervise Madarsa Education and in particular shall exercise the following powers and discharge the following functions, namely:-

(a) to grant or refuse registration to Madarsa and to deregister a Madarsa, if it thinks fit and necessary;
(b) to upgrade an existing Madarsa, if it thinks fit and necessary;
(c) to maintain all records relating to registered Madarsas in accordance with the regulations made in this behalf;
(d) to prescribe courses, curriculum and pedagogy;
(e) to prescribe text books and other teaching material;
(f) to arrange for the conduct of examinations including Board level examinations;

(g) to develop mechanism for inspection of Madarsas, and to ensure proper utilization of funds granted by the State Government;

(h) to supervise implementation of Central and State Government schemes in regard to Madarsa Education;

(i) to prepare annual budget estimates and accounts of the Board for the approval of the State Government;

(j) to perform such other functions as may be entrusted to it by the State Government; and

(k) to make regulations relating to conduct and discipline of officers and employees of Madarsa Board and teachers of Madarsas.

12. Power to delegate.- The Board may, by general or special order, direct that any power exercisable by it under this Act, except the power to make regulations, may also be exercised by its Chairperson or by such Committee or officer in such cases and subject to such conditions, as may be specified therein.

CHAPTER V

Officers of the Board

13. The Secretary.- (1) The Secretary shall be appointed by the State Government, who shall be an officer of the Rajasthan Administrative Service.

(2) Subject to the general control and supervision of the Chairperson, the Secretary shall be the principal administrative officer of the Board and shall be entitled to participate in the meetings of the Board but shall not be entitled to vote thereat. He shall be responsible for recording the proceedings of the meetings of the Board.

14. The Accounts Officer.- (1) The State Government shall appoint an Accounts Officer who shall be an officer of the Rajasthan Accounts Service to supervise and control the finances and accounts of the Board. He shall work under the overall supervision of the Secretary of the Board.

(2) He shall-

(i) be responsible for the preparation of the Budget and for the presentation thereof to the Board;

(ii) administer the Fund of the Board;

(iii) supervise and control the expenditure of the Board; and

(iv) ensure that no expenditure not authorized in the Budget is incurred by the Board.

15. Other officers and employees of the Board.- (1) For the purpose of enabling the Board to efficiently discharge its functions under this Act the State Government may depute such number of officers and other employees, as it may deem fit.

(2) The State Government may also create such number and category of posts of officers and other employees in the Board as it may consider necessary to carry out its functions under this Act and may make appointment thereto.

(3) The salary and allowances and other terms and conditions of service of the officers and employees of the Board, appointed under this section, shall be such as may be prescribed.

16. District Level Office.- Subject to the control and supervision of the Board, the office of the District Minority Welfare Officer, under the Department of Minority affairs, shall also function as the district level office for the purpose of implementing schemes and programs of the Board and to inspect and monitor Madarsas on behalf of the Board.

CHAPTER VI

Budget and Finances of the Board

17. Budget.- (1) The Board shall cause to be prepared, in such form and at such time in each financial year as may be prescribed, its budget for the next financial year, showing the estimated receipts and expenditure of the Board and after its approval forward the same to the State Government.

(2) No sum shall be expended by or on behalf of the Board unless the expenditure of the same is covered by the budget provisions approved by the State Government.

18. Fund.- (1) There shall be established a Fund to be called Madarsa Board Fund, hereinafter referred to as the 'Fund'.

(2) The following moneys shall form part of, and be paid into, the Fund, namely:-

(i) any grants received from the State Government or the Central Government;
(ii) any trust, bequests, donations, endowments and other grants; and

(iii) any other sums received on behalf of the Board.

(3) The Fund shall be applied strictly for the purposes of this Act and not otherwise.

19. Accounts and Audit.- (1) The accounts of the Board shall be prepared and maintained in such form and in such manner as may be prescribed.

(2) The Accounts of the Board shall be subject to audit by the Director Local Fund Audit in accordance with the provisions of the Rajasthan Local Fund Audit Act, 1954 (Act No. 28 of 1954) or in the manner as may be prescribed by the rules.

(3) The Accounts of the Board shall be audited by any registered Chartered Account Firm annually and its report shall be a part of annual report.

(4) The Board shall pay from their funds the charges for the audit as may be prescribed by the rules.

20. Annual Report.- (1) The Board shall prepare every year a report of its activities under this Act during that year and submit the report to the State Government.

(2) The State Government shall, as soon as may be after the receipt of a report under sub-section (1), cause the same to be laid before the House of the State Legislature.

CHAPTER VII

Committees of the Board

21. Advisory Committee.- (1) An Advisory Committee shall be constituted as provided hereunder to advise the Board on policy matters, issues involving finance and to review the performance of the Board from time to time:-

(i)	Chief Minister of Rajasthan	*ex-officio* Chairperson;
(ii)	Minister for Minority Affairs, Rajasthan	*ex-officio* Vice-Chairperson;
(iii)	Minister for School Education, Rajasthan	*ex-officio* Member;
(iv)	Minister for Finance, Rajasthan	*ex-officio* Member;
(v)	Minister for Social Justice and Empowerment, Rajasthan	*ex-officio* Member;
(vi)	Chairperson, Waqf Board, Rajasthan	*ex-officio* Member;
(vii)	Chairperson, Rajasthan Minority Commission	*ex-officio* Member;
(viii)	Chairperson, Madarsa Board, Rajasthan	*ex-officio* Member;
(ix)	Secretary Incharge, Minority Affairs, Rajasthan	Member-Secretary.

Explanation.- For the purposes of this sub-section expression "Secretary Incharge" means the Secretary to the Government Incharge of a department and includes an Additional Chief Secretary or a Principal Secretary when he is Incharge of a department.

(2) The Chairperson may authorize the Vice-Chairperson of the Advisory Committee to chair any meeting of the Committee.

22. Other Committees.- (1) The Board may, constitute such Committees as it may consider necessary for its proper and efficient functioning.

(2) The composition and the terms and conditions of the services of the members of the Committees shall be such as may be prescribed.

(3) The Board may make regulations to regulate the powers, functions and procedure of the Committees constituted under this section.

CHAPTER VIII

Miscellaneous

23. Chairperson, members, officers and employees of the Board to be public servants.- The Chairperson and all members, officers and employees of the Board shall, when acting or purporting to act in pursuance of the provisions of this Act or of any rules or regulations made thereunder, be deemed to be public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act No. 45 of 1860).

24. Protection of acts done in good faith.- No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the State Government, the Board or any of its Committees or any other person in respect of anything which is done or intended to be done in good faith in pursuance of the provisions of this Act or any rule or regulation, order or direction made thereunder.

25. Power of the State Government to issue directions.- (1) The State Government may issue such directions to the Board as it may deem necessary for the fulfilment of the purposes of this Act and the Board shall comply with such directions.

(2) The State Government shall have power to address the Board or express its views with respect to anything done or purported to be done by the Board.

(3) The State Government may by order in writing, specifying the reasons thereof, suspend the execution of any resolution or order of the Board and any Committee thereof and prohibit the execution of any act intended to be done under this Act, if the State Government is of the opinion that such resolution, order or act is in excess of the powers conferred by this Act or is prejudicial to the purposes of this Act.

26. Appeal against the decisions of the Board.- Any person or body aggrieved by any decision of the Board may prefer an appeal within sixty days of passing of such order to the Competent Authority:

Provided that the Competent Authority may admit the appeal after the expiry of the said period of sixty days if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

27. Reports.- The Board shall furnish to the State Government such reports, returns and statements as may be prescribed and such further information on any matter relating to the Board as the State Government may require.

28. Power of State Government to make rules.- The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the purposes of this Act.

29. Power of Board to make regulations.- The Board may, with the previous approval of the State Government, make regulations consistent with this Act and the rules made thereunder, as necessary for the exercise of its powers and the discharge of functions under this Act.

30. Rules and regulations to be laid before the House of the State Legislature.- Every rule and regulation made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is so made, before the House of the State Legislature, while it is in session, for a period of not less than fourteen days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions and if before the expiry of the session in which it is so laid or of the session immediately following, the House of the State Legislature makes any modification in the rule or regulation or resolves that the rule or regulation should not be made, the rule or regulation shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

31. Power to remove difficulties.- (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may by order, published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the purposes of this Act as may appears to be necessary for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made under this section after the expiry of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made before the House of the State Legislature.

32. Savings.- Any madarsa registered with the Rajasthan Madarsa Board, constituted vide Government Order No.F.16(1) Ele.Edu./2002 dated 27.1.2003 and stands so registered immediately before the commencement of this Act shall be deemed to be registered in accordance with the provisions of this Act.

विनोद कुमार भारवानी,
Principal Secretary to the Government.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।